

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक **751** / गोपनीय / 2021
दो-२-१ / 2021

जबलपुर, दिनांक 17 अगस्त, 2021

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये प्रधान जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री प्रभात कुमार मिश्रा	राजगढ़	देवास	देवास	सिविल जिला, देवास प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2.	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह	सीधी	शहडोल	शहडोल	सिविल जिला, शहडोल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

क्रमांक **752** / गोपनीय / 2021
दो-२-१ / 2021

जबलपुर, दिनांक 17 अगस्त, 2021

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एकट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम

के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता हैः—

सारणी


क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री मनोज कुमार लढ़िया	मैहर	निवास	मण्डला	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।
2.	श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर)	दतिया	जौरा	मुरैना	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3.	श्रीमती सोनल पटेल	डॉ. अम्बेडकर नगर	देवास	देवास	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री गंगाचरण दुबे के स्थान पर।
4.	श्रीमती रमा जयंत मित्तल	शाजापुर	दतिया	दतिया	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर) के स्थान पर।

टिप्पणी :-

1. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 713/गोपनीय/2021/दो-2-1/2021, दिनांक 11-08-2021, जहां तक इसका संबंध श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ का, राजगढ़ से शहडोल, की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
2. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 713/गोपनीय/2021/दो-2-1/2021, दिनांक 11-08-2021, जहां तक इसका संबंध श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी का, सीधी से देवास, की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
3. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 715/गोपनीय/2021/दो-2-1/2021, दिनांक 11-08-2021, जहां तक इसका संबंध श्री मनोज कुमार लढ़िया, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मैहर जिला सतना का, मैहर से सिरमौर जिला रीवा, की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
4. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 715/गोपनीय/2021/दो-2-1/2021, दिनांक 11-08-2021, जहां तक इसका संबंध श्रीमती सोनल पटेल, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इन्दौर का, डॉ. अम्बेडकर नगर से आगर जिला शाजापुर, की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
5. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 715/गोपनीय/2021/दो-2-1/2021, दिनांक 11-08-2021, जहां तक इसका संबंध श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर), द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया का, दतिया से रीवा, की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
6. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 715/गोपनीय/2021/दो-2-1/2021, दिनांक 11-08-2021, जहां तक इसका संबंध श्रीमती रमा जयंत मित्तल, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर का, शाजापुर से मनासा जिला नीमच, की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


17.8.21
(राजेन्द्र कुमार वाईडी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक **753** / गोपनीय / 2021
दो-2-1 / 2021

जबलपुर, दिनांक **17** अगस्त, 2021

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5.
 1. श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़,
 2. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी,
 3. श्री मनोज कुमार लद्धिया, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मैहर जिला सतना,
 4. श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर), द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया,
 5. श्रीमती सोनल पटेल, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर,
 6. श्रीमती रमा जयंत मित्तल, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 23-08-2021 तक अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें।

6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़/ सीधी/ सतना/ दतिया/ इन्दौर/ शाजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 23-08-2021 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास/ शहडोल/ मण्डला/ मुरैना/ रीवा/ नीमच को सूचनार्थ अग्रेषित ।
8. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ अग्रेषित ।
9. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस०ए०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :—
 - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे०ई०-१, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर – 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म०प्र०) को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (कार्य एवं अधोसंरचना)/ (आई०ए०ल)/ (न्यायिक-१)/ (न्यायिक-२)/ (सतर्कता)/ सदस्य सचिव (एस.सी.एम.एस.)/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 10. रजिस्ट्रार (ई०)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-१)/ (न्यायिक-२), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 11. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी—कम—माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
 12. माननीय न्यायाधिपति श्री के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
 13. माननीय न्यायाधिपति श्री के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
 14. माननीय न्यायाधिपति श्री के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
 15. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

16. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।



17.8.21
 (राजेन्द्र कुमार वाणी)
 रजिस्ट्रार जनरल
 ४०५